



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042022-234894
CG-DL-E-06042022-234894

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1541]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2022/ चैत्र 15, 1944

No. 1541]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2022/CHAITRA 15, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 1610(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, छत्तीसगढ़ राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-930 के कि.मी. 22.850 से कि.मी. 23.313 (सांकरा नाला) तक में (नया पुल निर्माण एवं ज्यमिति सुधार कार्य सहित) में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-930 के (नया पुल सांकरा नाला) के निर्माण कार्य हेतु कि.मी. 22.850 से 23.313 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बालोद(छ.ग.)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	छत्तीसगढ़	बालोद	बालोद	1 मटिया

		NH930 के कि.मी. 22.85 से 23.313 तक				2	सांकरा(क)
--	--	--	--	--	--	---	-----------

[फा. सं. RO/NH/CG-2021-22/930/LA]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th April, 2022

S.O. 1610(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule (Construction of new bridge in Km. 22.850 to Km. 23.323 (Sankra Nala) including geomatrics improvement), maintenance, managment and operation of the National Highway No. 930 in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of NH-930 on the stretch from Km. 22.850 to Km. 23.313 for construction of new bridge (Sankra Nala) in the State of Chhattisgarh.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Sub Divisional Officer(Revenue) Balod (C.G)	22.85KM To 23.313KM	CHHATTISGARH	BALOD	Balod	1 Matiya 2 Sankra(ka)

[F. No. RO/NH/CG-2021-22/930/LA]

RAJESH GUPTA, Director